

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :- 4/10/2023

मुकदमा नं० 219 /2023

I.D. 468/2023 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
धर्मसिंह पुत्र रतनलाल वगै० जाति मीना, निवासी सिघानमीना तहसील हिण्डौन जिला
करौली राजस्थान

--वादीगण 02

बनाम
सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली जिला करौली राजस्थान
--प्रतिवादीगण 03

दिनांक	फर्द अहकाम
4.10.2023	यह दावा वादी की ओर से श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.10.2023 को पेश हो। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
26 ¹⁰ /23	पत्रावली पेश हुई वकूलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते... दिनांक 28-11-23 को पेश हो।
28 ¹¹ /23	पत्रावली पेश हुई वकूलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते... दिनांक 22-2-24 को पेश हो।
21 ¹² /23	पत्रावली आज भिन्न तलवी के आग्रह पर अलग पेश हुई। वादीगण वकील उपरो। वादीगण वकील ने अवगत कराया कि वादीगण उक्त कार्य नहीं चलाना चाहते हैं। वादीगण उक्त नोटिस में स्थाई निषेधाज्ञा करना चाहते हैं। अतः मुकदमा 219/23 दावा धर्मसिंह बनाम सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली लीटिस कर रखा गया है। पत्रावली के मात सुधार दी गई। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला (करौली)